F- 141/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26 / 2017

अनवान

श्री भगवती लाल पिता लादु गुर्जर निवासी रूपपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... वादी

बनाम

1– मेवा पिता लादु गुर्जर निवासी रूपपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2– राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके रूपपुरा पटवार हल्का क्षैत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 10, 232, 601, 693/234 कुल किता 04 कुल रकबा 05–08 बीघा भूमि मेवा जगनाथ पिता लादु लुम्बा पिता भैरू गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम से ही राजस्व रेकार्ड में चली आ रही है। पूर्व में वादी के पिता मृतक लादु की विरासत से खुले नामान्तकरण में भगवती लाल के स्थान पर जगनाथ के नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश दर्ज कर दिया गया है। अतः वादपत्र की कलम संख्या 01 वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में मेवा जगनाथ पिता लादु लुम्बा पिता भैरू गुर्जर सा0 देह खातेदार के बजाय मेवा भगवतीलाल पिता लादु लुम्बा पिता भैरू गुर्जर सा0 देह खातेदार को राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाखुर्द में प्राप्त किया जाकर पंजीबद्ध किया कर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा वक्त केम्प उपस्थित। केम्प के दौरान ही दिनांक 08.05.2017 को वादी भगवतीलाल, प्रतिवादी संख्या 01 व वादी की माता बरजी बैवा लादु गुर्जर तथा दौ मौतबिरान महावीर पिता नारायण बैरवा, नारायण पिता ज्वारा गुर्जर निवासी रूपपुरा के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत राजीनामा प्रपत्र पर अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी का नाम भगवती लाल पिता लादु गुर्जर निवासी रूपपुरा है। लिहाजा वादी का वाद पत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.)

—::आदेश::—

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके रूपपुरा पटवार हल्का क्षेत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 10, 232, 601, 693/234 कुल किता 04 कुल रकबा 05–08 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम मेवा जगनाथ पिता लादु लुम्बा पिता भैरू गुर्जर सा0 देह खातेदार के बजाय मेवा भगवती लाल पिता लादु लुम्बा पिता भैरू गुर्जर सा0 देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाखुर्द में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)